



वित्तीय संस्थानों के लिये नई नयामक संरचना

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के केंद्रीय बोर्ड ने वाणजियकि, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनयिों के पर्यवेक्षण एवं वनियमन को मज़बूती प्रदान करने के लयिे RBI के अंतर्गत एक वशिष पर्यवेक्षी और नयामक संवर्ग/कैडर (Supervisory and Regulatory cadre) बनाने का नरिणय लयिा है।

- भारतीय रज़िर्व बैंक का यह कदम ऐसे समय में महत्त्वपूरण है जब गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनयिों [IL&FS संकट](#) के कारण तरलता में भारी कमी जैसी समस्या का सामना कर रही हैं।

इस नरिणय का कारण

- बैंकों और गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनयिों (Non Banking Financial Companies-NBFCs) जैसी वनियमति संस्थाओं में बढ़ती जटलिता को देखते हुए RBI द्वारा एक वशिष पर्यवेक्षी और नयामक कैडर बनाने का नरिणय उचति है।
- बैंकों में धोखाधड़ी के हालयिा मामले और NBFCs द्वारा चूक, जसिने पछिले एक साल में वित्तीय बाज़ारों को स्थरि कर दयिा, के बाद वित्तीय क्षेत्रों की बेहतर स्थति सुनश्चति करने के लयिे वशिष पर्यवेक्षण आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

- कृछ NBFCs और हाउसगि फाइनेंस कंपनयिों (Housing Finance Companies) में तरलता की कमी की कमी को देखते हुए NBFCs के ऋण साधनों में नविश और प्रवर्तकों/प्रमोटरों द्वारा गरिवी रखे गए शेयरों तथा प्रमोटरों के वति्त पोषण से चतिाजनक स्थति उत्पन्न हुई है।
- ऐसा माना जाता है कि भारतीय रज़िर्व बैंक पर्यवेक्षी कार्यो में, वशिषकर बैंकगि क्षेत्र में धोखाधड़ी और अव्यवस्थति प्रशासन का समय पर पता लगाने में असफल रहा था।

और पढ़ें....

[देश-देशांतर/द बगि पकिचर: बैंकगि घोटाले: ससिटम की कमजोरयिों और वकिलप](#)

[बैंकों पर बढ़ता बोझ और चरमराती व्यवस्था](#)